

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, बिक्रमगंज।

विषय:- मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं० 22, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष- 0003 उप जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में वेतनादि (वेतन,जीवन यापन भता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ते) की निकासी हेतु ₹18,87,000 (अठारह लाख सतासी हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

पटना, दिनांक/.../2016

विपत्र कोड-N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/ बी0एस0जी0-22/ 2015-295/वि0 दिनांक 24.03.2015, ब17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0 दिनांक 24.04.2015, पत्र संख्या- एम-4-09/2014/5294 दिनांक-17.06.2015, पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-300/2015-1047/वि0 दिनांक-16.12.2015 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं अधीक्षक, उपकारा, बिक्रमगंज के पत्रांक-53 दिनांक-28.01.2016 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में तथा अधीक्षक, उपकारा उदाकिशुनगंज के पत्रांक-132 दिनांक-15.02.2016 द्वारा वेतनादि मद (वेतन, जीवन यापन भता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ते) में ₹10,36,362 (दस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बासठ रुपये मात्र) का प्रत्यर्पण स्वीकार करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि में से वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्ते) मद हेतु निम्नांकित रूप से अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	कुट संख्या एवं मद का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	01 01 वेतन	2654000	1499000	4153000	इकतालीस लाख तिरपन हजार रुपये मात्र।
2	01 03 जीवनयापन भत्ता	2940000	370000	3310000	तैतीस लाख दस हजार रुपये मात्र।
3	01 04 मकान किराया भत्ता	208000	7000	215000	दो लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र।
4	01 06 चिकित्सा भत्ता	61000	6000	67000	सड़सठ हजार रुपये मात्र।
5	01 07 अन्य भत्ता	21000	5000	26000	छब्बीस हजार रुपये मात्र।
	कुल योग	5884000	1887000	7771000	सतहत्तर लाख एकहत्तर हजार रुपये मात्र।

(अठारह लाख सतासी हजार रुपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष- 0003 उप जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड- एन-2056001010003 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं० 405/वि० दिनांक 25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी०भी० नं० के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप)-03-01/15.....108

पटना, दिनांक 8/3/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप)-03-01/15.....108

पटना, दिनांक 8/3/2016

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप)-03-01/15.....108

पटना, दिनांक 8/3/2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, उपकारा उदाकिशुनगंज को उनके पत्रांक-132 दिनांक-15.02.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप)-03-01/15.....108

पटना, दिनांक 8/3/2016

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, सासाराम एवं मधेपुरा/आईटी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ

बिहार, पटना।